

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 14.11.2022

80 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, नौसादर व यूरिया के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधो, मादक पदार्थों की बिक्री व व्यापार के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान व अपराधियों के गिरफ्तारी" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी संजय कुमार गुप्ता थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत चौकी प्रभारी उ0नि0 कुँवर गौरव सिंह द्वारा 80 लीटर अप मिश्रित कच्ची शराब व 100 ग्राम यूरिया एवं 100 ग्राम नौसादर के साथ अभियुक्त छोटू डोम पुत्र संजय डोम निवासी लाल डिग्गी (पार्क के निकट बांध पर) थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 332/2022 धारा 272 भा0द0वि0 व 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

छोटू डोम पुत्र संजय डोम निवासी लाल डिग्गी (पार्क के निकट बांध पर) थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी-

80 लीटर अप मिश्रित कच्ची शराब व 100 ग्राम यूरिया एवं 100 ग्राम नौसादर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 332/2022 धारा 272 भा0द0वि0 व 60 आबकारी अधि0

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1-उ0नि0 कुँवर गौरव सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

2-कां0 रवि कुमार थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

3-कां0 देवेन्द्र यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर